प्रेस विज्ञप्ति
23.07.2026

ईडी, गोवा आंचलिक कार्यालय द्वारा क्रिप्टो-हवाला एवं अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ धन शोधन सिंडिकेट के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई; दुबई निवासी निहाल वी.एन. गिरफ्तार

माननीय प्रधानमंत्री के "नशा मुक्त भारत" के दृष्टिकोण तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 26 जून, 2026 को आयोजित 10वीं शीर्ष एनसीओआरडी बैठक में निर्धारित रणनीतिक कार्ययोजना के अनुरूप, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने हेतु "पता लगाओ, बाधित करो और समाप्त करो" की आक्रामक रणनीति अपनाने का आह्वान किया गया था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गोवा आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दुबई के सामान्य निवासी निहाल वी.एन. को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उसे दिनांक 28.07.2026 तक सात दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

यह कार्रवाई केवल व्यक्तिगत मादक पदार्थ वाहकों तक सीमित न रहकर संपूर्ण मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क, डार्कनेट संचालकों, सरगनाओं तथा उनके सीमा-पार वित्तीय सहयोगियों को लक्ष्य बनाकर की गई है।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में यह उजागर हुआ कि दुबई से संचालित निहाल वी.एन. विभिन्न महाद्वीपों में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों के लिए एक प्रमुख वित्तीय केंद्र (फाइनेंशियल नोड) तथा धन शोधक (मनी लॉन्डरर) के रूप में कार्य कर रहा था।

वह भारत में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित नकदी एवं अन्य अवैध आय का प्रबंधन करता था तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से उत्पन्न अपराध से प्राप्त आय की बड़ी राशि को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी एवं विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करता था।

धन शोधित क्रिप्टो परिसंपत्तियों एवं विदेशी मुद्रा को ब्राजील तथा थाईलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय कार्टेलों एवं आपूर्तिकर्ताओं तक भेजा जाता था, ताकि भारत में तस्करी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मादक पदार्थों एवं सिंथेटिक ड्रग्स की खरीद के वित्तपोषण में उनका उपयोग किया जा सके।

फॉरेंसिक एवं डिजिटल जांच के दौरान अपराध से प्राप्त आय के धन शोधन के लिए प्रयुक्त अनेक अवैध क्रिप्टो वॉलेट, अपतटीय (ऑफशोर) बैंक खाते तथा देश के भीतर संचालित शेल संस्थाओं की पहचान की जा चुकी है।

इससे पूर्व, इसी मामले में ईडी, गोवा आंचलिक कार्यालय ने गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा तथा दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में स्थित 26 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई गोवा पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी द्वारा प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के उपरांत की गई थी। जांच में एक सुव्यवस्थित अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के अस्तित्व का खुलासा हुआ। साथ ही, व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) के आधार पर गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा तथा केरल सहित विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला का भी पता लगाया गया। तलाशी के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे।

इस मामले में इससे पूर्व मुख्य आरोपी मधुपन एस.एस. को दिनांक 17.01.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

ईडी संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा अपराध से प्राप्त आय के धन शोधन के लिए प्रयुक्त वित्तीय माध्यमों को समाप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ईडी, धन शोधन निवारण

अधिनियम (पीएमएलए) तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के प्रभावी एवं व्यापक क्रियान्वयन के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी एवं धन शोधन के विरुद्ध अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है।

ईडी मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की वित्तीय नींव पर प्रहार करते हुए उनके विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई निरंतर जारी रखे हुए है। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित अपराध से प्राप्त आय से अर्जित परिसंपत्तियों की पहचान, उनका पता लगाने तथा उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई के माध्यम से ईडी "नशा मुक्त भारत" के राष्ट्रीय अभियान को और अधिक सुदृढ़ बना रहा है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थ व्यापार पर अंकुश लगाने, अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने एवं उसे कुर्क करने तथा ऐसे अवैध कृत्यों के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधात्मक संदेश देने की दिशा में ईडी के सतत प्रयासों को रेखांकित करती है।

मामले में सभी लाभार्थियों एवं सहयोगियों की पहचान करने तथा अवैध गतिविधियों से अर्जित परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।